न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 55/2016 G.C.M.S. No. 2016/00444 दर्ज दिनांक : 01.09.2016

अपीलार्थिगण:

1. भलाराम पुत्र स्वर्गीय जसारामजी
2. वरजुबाई पत्नि स्वर्गीय जसारामजी
3. मोगी पुत्री स्वर्गीय जसारामजी
4. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय जसारामजी

जातिगण चौधरी (सिरवी) निवासीगण गिराली तहसील देसूरी जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत वेलाराम पुत्र दुरगारामजी के वारिसान–
   - 1/1 देवाराम पुत्र वेलारामजी
   - 1/2 गोमाराम पुत्र वेलारामजी
   - 1/3 कमला पुत्री वेलारामजी
   - 1/4 दाकु पुत्री वेलारामजी
   - 1/5 मीरो पुत्री वेलारामजी
   - 1/6 सोनकी पत्नि वेलारामजी
2. खीमाराम पुत्र दुरगारामजी
3. मानाराम पुत्र दुरगारामजी
4. पोनी पुत्री दुरगारामजी
5. सुकी पुत्री दुरगारामजी

   जातिगण चौधरी (सिरवी) निवासीगण गिराली तहसील देसूरी जिला पाली।
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी
7. मांगीलाल पुत्र स्वर्गीय जसारामजी जाति चौधरी (सिरवी) निवासीगण गिराली तहसील देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2015 बअनवान भलाराम वगैरह बनाम वेलाराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016

उपस्थितः–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 08.05.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 55/2015 बअनवान भलाराम वगैरह बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वेलाराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी का एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92–ए राज, काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोंडेन्ट्स के विरूद्ध लम्बित था, जिसके वाद संख्या 66/2013 थें। उक्त वाद पेशी दिनांक 22.6.2015 को साक्ष्य वादी हेतु नियत था, लेकिन राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट, ढालोप में दिनांक 03.07.2015 को बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये, बिना अपीलाण्ट्स की उपस्थिति के अवैध रूप से राजीनामा होना बताकर जरिये विड्रोल वाद को खारिज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट्स द्वारा न तो राजीनामा किया गया, न ही राजीनामा पेश किया गया, न ही उपस्थिति दी गई। केवल मात्र एक वादी मांगीलाल की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलार्थी के वाद को ही जरिये विड्रोल खारिज कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में ही आदेश 9 नियम 9 सीपीसी में आवेदन पेश किया गया। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के खारिज कर दिया। जो आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद में कुल 5 वादी थें, जिसमें 4 वादी अपीलाण्ट्स थें। पांचवा वादी मांगीलाल था, जो उक्त अपील में रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 के रूप में नियोजित है। अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद में चारों अपीलाण्ट्स ने न तो रेस्पोंडेन्ट से राजीनामा किया, न ही केम्प ढालोप में उपस्थित हुए, फिर भी विधि के प्रावधानों को ताक में रखकर केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट मांगीलाल की उपस्थिति वादी की ओर से बताते हुए सभी वादीगण का वाद जरिये विड्रोल खारिज कर दिया, जो आदेश अपने आप में भी अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथमदृष्टया ही अपास्त योग्य है। जिस बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में वाद को पुनः रेस्टोर किये जाने बाबत आवेदन पेश किया था। जो आवेदन रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 की तलबी के लिए नियत था। फिर भी पुनः न्याय आपके द्वार केम्प ढालोप में यह लिखते हुए कि निर्णय के बाद सक्षम न्यायालय में अपील रिवीजन की जानी चाहिए थीं और इस आधार पर अपीलार्थी के वाद को रेस्टोर कराने के आवेदन को उचित नहीं मानते हुए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का कथन करते हुए आवेदन को जैर अपील आदेश द्वारा खारिज कर दिया। विधिक रूप से अधिनस्थ न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की विधिक रूप से अधिकारिता नहीं है। क्योंकि प्रकरण में सभी पक्षों की तामिल नहीं हुई थीं, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अवैध, अनुचित होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में विचाराधीन वादपत्र संख्या 66/2013 मांगीलाल वगैरह बनाम मृत वेलाराम के वारिसान वगैरह जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में एक वादी मांगीलाल के कथित विड्रोल आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 को वादपत्र खारिज कर देने के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को आदेश दिनांक 20.06.2016 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन वादपत्र संख्या 66/2013 जो साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 22.06.2015 को नियत था, लेकिन अपीलांट्स को नोटिस दिए बिना एवं अपीलांट्स की ओर से कोई राजीनामा प्रस्तुत किए बिना अपीलांट्स की गैर–मौजूदगी में प्रकरण में राजीनामा होना बताकर जरिये विड्रोल वाद खारिज किया गया। जबकि केवल एक वादी मांगीलाल की उपस्थिति दर्ज करते हुए संपूर्ण वादपत्र को जरिये विड्रोल खारिज किया है। जिसके रेस्टोर हेतु अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह लिखते हुए कि प्रकरण में निर्णय के बाद सक्षम न्यायालय में अपील/रिवीजन की जानी चाहिए थीं। अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जो काबिल अपास्त है।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 7 द्वारा वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.06.2015 को साक्ष्य वादी में नियत था। इसी दरम्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ढालोप में नियत करते हुए केवल एक वादी मांगीलाल के आवेदन पर कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे आपस में राजीनामा हो चुका है। हम वाद आगे नहीं चलाना चाहते, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को जरिये विड्रो खारिज कर दिया। प्रकरण में 4 अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादी/अपीलांट द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई एवं न ही कोई आवेदन किया गया एवं न ही कोई राजीनामा आदि पेश किया गया तथा न ही उनकी उपस्थिति अंकित है। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर वादपत्र को पुनः रेस्टोर किये जाने बाबत निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस अभिमत के साथ कि प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/रिवीजन की जानी चाहिए, के साथ आवेदन खारिज कर दिया।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादपत्र को अपीलांट्स को सूचित किए बिना अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में अपीलांट्स/अधिवक्ता अपीलांट्स की सहमति के अभाव में केवल मात्र एक वादी रेस्पोंडेंट संख्या 7 के आवेदन पर संपूर्ण वादपत्र को वादीगण की ओर से जरिये विड्रोल खारिज किया गया। जो किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत व उचित नहीं माना जा सकता। चूंकि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में पारित की गई हैं तथा अपीलांट्स वादीगण की अनुपस्थिति जानबूझकर या अपीलांट्स की लापरवाही के कारण नहीं हुई थीं। वादपत्र साक्ष्य वादी में नियत था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व नियत तारीख पेशी से पूर्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पत्रावली नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वाद खारिज किया गया। उक्त कैम्प कोर्ट के संबंध में अपीलांट्स को समुचित रूप से सूचना/नोटिस तामील नहीं करवाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को व्यतिक्रम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में वस्तुतः कानूनन भूल व त्रुटि कारित की हैं। जिसकी पुष्टि किया जाना संभव नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए अपीलांट्स वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 66/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 को अपास्त करते हुए वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पुनः नियमित विचारण में लिये जाने का आदेश किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

55/2015 बअनवान भलाराम वगैरह बनाम वेलाराम के कायम मुकाम देवाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 को अपास्त करते हुए अपीलांट्स प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 सीपीसी सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2013 बअनवान मांगीलाल वगैरह बनाम वेलाराम के वारिसान देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 को अपास्त करते हुए उक्त वादपत्र को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः नियमित विचारण में रखे जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **08.05.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner